राजस्थान सरकार
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

क्रमाकःप0 14(1)चिस्वा/2/2023/940　　　　　　जयपुर, दिनांक :

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

विषय– विभाग में आवश्यक अस्थाई आधार (यूटीबी) के माध्यम से कार्यरत चिकित्सकों की सेवा में अभिवृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि विभाग में आवश्यक अस्थाई आधार (यूटीबी) पर चयनित कार्मिकों (357 चिकित्सा अधिकारियों जिनकी सेवा अवधि दिनांक 31.12.2023 को समाप्त हो रही है, में 6 माह की अभिवृद्धि एवं 378 चिकित्सा अधिकारियों जिनकी सेवा अवधि दिनांक 31.03.2024 को समाप्त हो रही है, में 3 माह की अभिवृद्धि) की सेवा अवधि में दिनांक 30.06.2024 तक अथवा नियमित भर्ती से कार्मिक उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, तक की अभिवृद्धि हेतु सैद्धान्तिक सहमति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है–

1. आवश्यक अस्थाई आधार पर जिलों में कार्यरत चिकित्सकों को अभिवृद्धि प्रदान करने हेतु विभागीय आदेश दिनांक 04.10.2014 एवं 09.11.2017 में उल्लेखित शर्तों एवं दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना की जावे।
2. सेवा अभिवृद्धि से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि यदि प्रस्तावित कार्मिकों की अस्थायी नियुक्ति स्वीकृत पदों के विरुद्ध राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 तथा समय–समय पर संशोधित नियम में उल्लेखित प्रावधानानुसार निर्धारित प्रक्रिया की पालना के उपरान्त की गयी है, तो ही उक्त अभिवृद्धि मान्य होगी।
3. वर्तमान में जिलों में कार्यरत यू.टी.बी. चिकित्सकों को उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर वेतन आहरण करवाया जाये।
4. यह नियुक्ति दिनांक 30.06.2024 तक अथवा नियमित भर्ती से कार्मिक उपलब्ध होने तक में से जो भी पहले हो. तक ही लागू होगी।
5. इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियमों/आदेशों/परिपत्रों आदि की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाये।

उक्त आदेश वित्त (व्यय–1) विभाग की आई. डी. क्रमांक 152302684 दिनांक 30.12.2023 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते है।

भवदीया,

(निमिषा गुप्ता)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2 विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान ।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार ।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. निजी सचिव. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान, अजमेर।
7. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
8. निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
9. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक राजकीय मेडिकल कॉलेज, राज
10. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, [illegible]
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राज.

RajKaj Ref
5254210

Signature valid
Digitally signed by Nimisha Gupta
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2024.01.01 09:20:26 IST
Reason: Approved

शासन [illegible] सचिव